जसरूपचंद बनाम उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा प्रकरण संख्या 15/2019

15.04.2019	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) जसवंतपुरा का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा) ने व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2019 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नही होने के कारण संबधित सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवंतपुरा से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 6(1) के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवंतपुरा को पत्रांक/154 दिनांक 11.04.2019 प्रेषित कर आवेदन पत्र को अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु भिजवाया गया। उक्त अन्तरित पत्र दिनांक 11.04.2019 के अनुक्रम में विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवन्तपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी को पत्रांक 1271 दिनांक 12.04.2019 को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए इस उत्तर की प्रति अपीलांट जसरूपचन्द को भी दी गई। इस अपील के क्रम में उपखण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा ने अपीलोत्तर पत्रांक 157 दिनांक 15.04.2019 द्वारा पेश किया जिसकी प्रति भी अपीलार्थी को दी गई है। तदानुसार सारांशतः स्थिति यह रही कि उपखण्ड कार्यालय जसवन्तुपरा स्तर पर 19.02.2019 के आवेदन को 5 दिन में अन्तरित करने की बजाय 11.04.2019 को अन्तरित किया गया जो कि काफी विलम्ब से किया गया है। इस बाबात उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि RTI प्रकरणों में इस प्रकार का विलम्ब अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा भविष्य में न किया जावे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब चूंकि अपीलार्थी को विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 12.04.2019 तथा उपखण्ड अधिकारी के पत्र दिनांक 15.04.2019 की प्रतियां दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई अनुतोष शेष नहीं रहता। तदानुसार अपील निस्तारित की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:58:27 IST
Reason: SelfAttested